# कार्यालय : जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या : 1049 /(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ दिनांकः 20 जुलाई 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित ए0 एन0 एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ परगना लखनऊ ग्राम बाघामऊ की 1.750 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2: राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 09–07–2020 को अनुमोदित किया गया है।

3: सामाजिक समाघात निर्धारण का साराँश इस प्रकार हैः–

''लखनऊ शहर की बढती हुई जनसंख्या की आवासीय समस्या के समाधान हेतु सभी सुख सुविधाओं से युक्त इस प्रकार की टाउनशिप विकसित किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। किन्तु इस प्रयास में अधिग्रहण से प्रभावित भू–स्वामियों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। चूंकि परियोजना हेतु वांछित 96.97 प्रतिशत भूमि का हस्तान्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण/विकास कर्ता के पक्ष में हो चुका है। अतएव इस सामाजिक समाघात आंकलन/प्रबन्धन योजना के आधार पर इन प्रभावों को कम करते हुए प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि जिन भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि का विक्रय नही किया गया है उनके द्वारा मुख्य रूप उनकी अत्यधिक उपयोगी भूमि का वर्तमान सर्किल रेट बहुत कम है, जिस पर वे अपनी भूमि विक्रय हेतु सहमत नही है। अतएव यदि परिवर्तन/संसोधन हेतु सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन कर विचार किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ''

4: भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5: अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है। .

अनुसूची

| जनपद | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा सं0 | अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| लखनऊ | लखनऊ | लखनऊ | बाघामऊ | 73 P | 0.2320 |
| योग | | | | 147 | 0.0890 |
| | | | | 149 | 0.1010 |
| | | | | 251 | 0.3950 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 266 K | 0.1110 |
| | | | | 317 K P | 0.0570 |
| | | | | 317 KH | 0.1140 |
| | | | | 382 K P | 0.0320 |
| | | | | 442 KH | 0.0840 |
| | | | | 568 P | 0.0400 |
| | | | | 247 P | 0.2630 |
| | | | | 729 P | 0.2150 |
| | | | | 732 P | 0.0170 |
| | | | | योग | 1.7500 |

6: अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7: अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8: अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विकय/कय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(मनीष कुमार नाहर)
कलेक्टर, लखनऊ,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)